

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

(मानव संसाधन विभाग)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110 002

ईमेल आईडी : estt@fssai.gov.in

दिनांक: 27 सितंबर, 2023

OFFICE ORDER NO/कार्यालय आदेश क्रमांक. 396/2023

विषय: सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की घोषणा।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 5 और धारा 19 के संदर्भ में और इस विषय पर जारी पहले के आदेशों के दमन में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना/अपील मांगने वाले व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन के संबंध में जानकारी प्रदान करने/अपील पर विचार करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एए) के रूप में नामित किया गया है:

Sr. No.	Divisions	Units under various Divisions	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO)	(प्रथम अपीलीय प्राधिकारी) First Appellate Authority
1	Human Resource & Finance Division	(a) Recruitment Unit	Shri Pradeep Kumar Jain, AD	Cdr. Sharad Aggarwal, Director
		(b) Establishment Unit- I	Shri Bipin Parcha, DD	Shri Mukesh Kumar, JD
		(c) Establishment Unit- II		
		(d) Knowledge Resource Center Cell	Shri Madan Mohan Khantwal, AD	Shri Rajendra Kumar Ojha, JD
		(e) Vigilance Unit		
		(f) Finance and Accounts	Shri Manish Kumar Mishra, DD	Cdr. Sharad Aggarwal, Director
2	General Administration and Policy Coordination Division	(g) Internal Audit Cell		
		(a) General Administration Unit	Shri Pankaj Gera, AD	Sh. Avinash Kusumakar, JD
		(b) Protocol Cell		
		(c) Rajbhasha Cell	Ms Pratima Kumari, AD (OL)	Shri Ankeshwar Mishra, JD
		(d) Parliament Cell	Shri Ashok Kumar, AO	Shri Ankeshwar Mishra, JD
		(e) RTI and Grievance Cell		
		(f) Policy Co-ordination		
(g) Authority Meeting Cell	Shri Dhananjay Mehta, AD	Shri Ankeshwar Mishra, JD		

3	Legal Division		Ms Smita Singh, AD	Shri Manish Kumar Bhaskar, DD
4	Information Technology Division	(a) Application Development & Support Unit (b) Data Analytics Unit	Sh. D V G Hari Prasad, Manager (IT)	Ms Lily Prasad, Chief Technology Officer
5	Social Behavioural Change Division	(a) Public Relation, Media & Outreach Unit (b) Social & Behavioural Change Unit	Sh. Vishwas Sharma, Deputy Manager	Sh Sidhartha Roy, Principal Manager
6	Science & Standards Division - I	(a) Codex/ SPS Unit (b) Food of Plant Origin Unit (c) Food of Animal Origin Unit (d) Packaging & Processed Food Unit (e) Nutrition and Fortification Unit (f) Animal Feed Unit	Shri Shailender Kumar, AD(Tech)	Dr. Amit Sharma, Director
7	Science & Standards Division - II	(a) FSMS Unit (b) Research & Risk Assessment Unit (c) Claim Approval Unit (d) Product Approval Unit		
8	Regulation Division		Ms Sakshee Pipliyal, AD(Tech)	Dr. Amit Sharma, Director
9	Quality Assurance Division - I	(a) Laboratory Inspection and Recognition Unit (b) Lab Staff Training Unit (c) Surveillance Unit	Shri Ravinder Kumar Narula, AD	Sh. Ajai Prakash Gupta, Director
10	Quality Assurance Division - II	(a) Food Laboratory Unit (b) Method Sampling and Analysis Unit (c) Rapid testing, innovation and outreach Unit		
11	Regulatory Compliance Division	(a) Licensing Unit	Sh. Akhilesh Gupta, AD	Sh. Rakesh Kumar, Director
		(b) Enforcement Unit	Sh. Nilesh kumar Ojha, AD	Sh. Vikas Talwar, DD
		(c) Consumer Grievances Unit	Ms. Vinita Verma, AD (Tech)	Sh. Vikas Talwar, DD
		(d) State Coordination Unit	Sh. Nilesh Kumar Ojha, AD	Sh Pawan Kumar, DD
		(e) Regulatory Audit Unit		
		(f) PIMU		
12	Training Division	(a) Regulatory Staff Training Unit	Sh. Manish Nigam, AD	Shri Sharad Rao, JD
		(b) Food Businesses Training Unit		
		(c) Staff Training Unit	Sh. Manish Nigam, AD	Shri Ankeshwar Mishra, JD

13	Trade and International Cooperation Division	(a) Imports Unit (b) Exports Unit (c) International Cooperation Unit	Dr. Sujata Singh, AD	Sh. Manvesh Kumar, Director
----	--	--	-------------------------	--------------------------------

2. सेवानिवृत्ति, स्थानान्तरण, त्यागपत्र, प्रत्यावर्तन या सीपीआईओ के छुट्टी/दौरों पर होने की स्थिति में, उनसे संबंधित आरटीआई आवेदन/अपील लिंक अधिकारी व्यवस्था के तहत सम्बंधित अधिकारी द्वारा तब तक संभाला जाएगा जब तक कि वह अपनी इयूटी में पुनः शामिल नहीं हो जाते या उनकी जगह कोई और अधिकारी अपना कार्यभार ग्रहण न कर लेता हो। कभी-कभी, किसी अधिकारी के कार्य को पुनः आवंटित करने के लिए प्रशासनिक आदेश होते हैं, इस मामले में, जिस अधिकारी को प्रभार/अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, वह आरटीआई सेल व मानव संसाधन प्रभाग को सूचित करते हुए सीपीआईओ/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में संबंधित आरटीआई मामलों को संभालेगा।
3. निदेशक (क्षेत्र/प्रयोगशाला) अपने संबंधित क्षेत्रों/प्रयोगशालाओं के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें मानव संसाधन प्रभाग को सूचित करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ प्रयोगशालाओं के शाखा कार्यालय/बंदरगाह कार्यालय/विस्तार कार्यालयों के लिए सीपीआईओ नियुक्त करने का अधिकार है। .
4. सीपीआईओ, विशेष रूप से जो अधिनियम के प्रवर्तन, आयात, प्रयोगशालाओं, मानकों से संबंधित मामलों से निपट रहे हैं, उत्तर प्रस्तुत करने से पहले एक-दूसरे से परामर्श कर सकते हैं ताकि आवेदक को जानकारी प्रस्तुत करते समय प्रयासों के दोहराव से बचा जा सके।
5. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों से निपटेंगे और आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को उचित सहायता प्रदान करेंगे।
6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally Signed by
Abhishek Kumar Singh
Date: 27-09-2023 18:01:30
Reason: Approved

(अभिषेक कुमार सिंह)

उप निदेशक (मानव संसाधन)

सेवा में :

सभी सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (All CPIOs & FAAs)

श्री अंकेश्वर मिश्रा, संयुक्त निदेशक , आर टी आई सेल - उचित कार्रवाई हेतु .

आई टी डिवीज़न (IT Division) - एफएसएसएआई की वेबसाइट और ईऑफिस डैशबोर्ड पर अपलोड करने के लिए (सभी संबंधितों की जानकारी के लिए)।